

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 144 : Presumption as to documents in certain cases

Where any document—

- (i) is produced by any person under this Act or any other law for the time being in force; or
- (ii) has been seized from the custody or control of any person under this Act or any other law for the time being in force; or
- (iii) has been received from any place outside India in the course of any proceedings under this Act or any other law for the time being in force,

and such document is tendered by the prosecution in evidence against him or any other person who is tried jointly with him, the court shall—

- (a) unless the contrary is proved by such person, presume—
 - (i) the truth of the contents of such document;
 - (ii) that the signature and every other part of such document which purports to be in the handwriting of any particular person or which the court may reasonably assume to have been signed by, or to be in the handwriting of, any particular person, is in that person's handwriting, and in the case of a document executed or attested, that it was executed or attested by the person by whom it purports to have been so executed or attested;
- (a) admit the document in evidence notwithstanding that it is not duly stamped, if such document is otherwise admissible in evidence.

—————

धारा 144 : कतिपय मामलों में दस्तावेजों के लिए उपधारणा

जहां कोई दस्तावेज—

- (i) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है; अथवा
- (ii) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति की अभिरक्षा अथवा नियंत्रण से अभिग्रहण किया गया है; अथवा
- (iii) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुक्रम में भारत के बाहर किसी स्थान से प्राप्त किया गया है,
- और ऐसा दस्तावेज उसके अथवा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति जिसका उसके साथ संयुक्त रूप से विचारण किया जाता है, के विरुद्ध अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वहां—
- (क) जब तक कि ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, न्यायालय द्वारा यह उपधारणा की जाएगी कि—
- (i) ऐसे दस्तावेज की अंतर्वस्तु सत्य है;
- (ii) यह कि हस्ताक्षर और ऐसे दस्तावेज का प्रत्येक अन्य भाग जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा तात्पर्यित रूप से हस्तलिखित हो अथवा जिसके बारे में न्यायालय ने युक्तियुक्त रूप से यह माना हो कि वह विशिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है अथवा उसके द्वारा हस्तलिखित है और ऐसे दस्तावेज के निष्पादित या अनुप्रमाणित होने की दशा में इस प्रकार उसका तात्पर्यित रूप से उस व्यक्ति द्वारा निष्पादन या अनुप्रमाणन किया गया है;
- (ख) यह होते हुए भी कि दस्तावेज सम्यक्तः स्टांपित नहीं है, साक्ष्यस्वरूप दस्तावेज को स्वीकार करेगा, यदि ऐसा दस्तावेज साक्ष्य में ग्रहण किए जाने योग्य है।